न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ 33

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

कदमा नम्बर 96 / 2019

दायर दिनांक–23.09.2019

1. बनवारी पुत्र औंकार
2. प्रभु पुत्र औंकार
3. छोटू पुत्र औंकार
4. कजोड़ पुत्र गुगाराम
5. नानूराम पुत्र हणमान समस्त जाति माली निवासी देवीपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– :: बनाम ::–

– आवेदकगण

1. गिरधारी पुत्र रामनाथ
2. प्रहलाद पुत्र माला
3. रोहिताश कुमार पुत्र बिरजू
4. प्रदीप पुत्र बिरजू
5. कमला पत्नी बिरजू
6. मनकोरी पत्नी औंकार
7. बाबुलाल पुत्र गुगाराम
8. फूली पुत्री गुगाराम
9. जीवली पुत्री गुगाराम
10. भंवरलाल पुत्र रामेश्वर
11. रामूराम पुत्र रामेश्वर
12. सुरेश पुत्र रामेश्वर
13. लालकी पत्नी रामेश्वर
14. माया पुत्री रामेश्वर
15. पतासी पुत्री हणमान
16. सुरजी पुत्री हणमान
17. अणची पुत्री हणमान
18. प्रभातीलाल पुत्र तेजाराम
19. भागुराम पुत्र तेजाराम
20. मखली पत्नी दुर्गाप्रसाद समस्त जाति माली निवासी देवीपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
21. निर्मला पत्नी किशोर कुमार जाति मेघवाल निवासी देवीपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
22. भारतीय स्टेट बैंक शाखा चिराना तहसील नवलगढ़ जरिये शाखा प्रबंधक।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री प्रदीप कुमार
वकील अनावेदकगण :– श्री विप्लव पंडित

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: आदेश ::–

दिनांक 19.07.2024

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वाके ग्राम देवीपुरा तहसील नवलगढ़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 1212, 1213, 1214, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222 कुल किता 10 कुल रकबा 5.97 है0 स्थित है जिसे आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा। उक्त भूमि में आवेदक व अनावेदकगण का हिस्सा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 के अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। आवेदक व अनावेदकगण अपने अपने हिस्सेनुसार मौके पर अपनी सुविधानुसार विभाजित कर रखा है तथा अलग अलग काश्त करते है उक्त वर्णित भूमि में शामलाती चाह बना हुआ है जिससे आवेदकगण व अनावेदक संख्या 1 लगायत 20 अपने अपने हिस्सेनुसार सिंचाई करते है। आवेदक अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करते है। अनावेदक संख्या 1 व 2 अन्य लोगो से मिलकर आवेदक को नाजायज परेशान करना चाहते है तथा मौखिक बंटवारे में आवेदक के हिस्से में आई भूमि पर नया रास्ता कायम कर भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज करना चाहते है जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नही है। इसके बावजूद शामलाती रिकॉर्ड दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर नाजायज कार्य कर रहे

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

है। इसकारण वादग्रस्त भूमि का कब्जे काश्त व हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जाकर अलग अलग रास्ता कायम किया जावे। अनावेदक संख्या 01 व 02 गांव के सरपंच से मिलकर आवेदक की भूमि में नया रास्ता कायम करना चाहते है जिससे आवेदक के हिस्से मे आई भूमि को वेस्ट व डेमेज करना चाहते है तथा आवेदक को उसकी भूमि से जबरन बेदखल करना चाहते है।

आवेदक वादग्रस्त भूमि का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज है। अपने खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में पड़ता है। यदि अनावेदकगण अपनी नाजायज मंशा में सफल आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ती संभव नही है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में अनावेदक संख्या 2 व 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि आवेदकगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की कोई दखंलदाजी पैदा नही करे तथा आवेदकगण के कब्जे काश्त की भूमि पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नही निकाले ना ही भूमि को वेस्ट एण्ड डेमेज करें।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक संख्या 01, 02, 07, 10, 11, 12, 13, 14 की ओर से वकील श्री विप्लव पंडित उपस्थित न्यायालय आये तथा आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस पेश किया कि :– आवेदकगण व अनावेदकगण ने मिलकर राजीनामा करके शामलाती रास्ता अपनी कृषि भूमि मे आने के लिए निकाला था जिसकी मौके पर नपती करवाई गई व मौके पर पटवारी द्वारा नक्शा बनाया गया उक्त नक्शे को सभी खातेदारों ने स्वीकार किया तथा मौके पर रास्ता आज भी मौजूद है। परन्तु आवेदकगण ने मिलकर अनावेदकगण का रास्ता बंद कर दिया। आवेदकगण व अनावेदकगण के बीच आपस में कब्जे काश्त का मौके पर किसी प्रकार का विवाद नही है। मात्र आवेदकगणों के द्वारा अन्य सहखातेदारों का रास्ता बंद करने का विवाद है। अनावेदकगण विभाजन करवाने को तैयार है विभाजन शामलाती भूमि से रास्ता निकालकर किया जाता है तो अनावेदकगणों को किसी प्रकार कि कोई आपत्ति नही है।

<u>अतिरिक्त उत्तर</u>

आवेदकगण व अनावेदकगण आपस में मिलकर अपनी कृषि भूमि का राजीरजा बंटवारा किया था जिसमे आपस में सभी खातेदारों के लिए रास्ता निकाला गया था जिसका मौके पर नक्शा बनाया गया था उक्त रास्ता 18 फुट चौड़ा निकाला था जिसको जे.सी.बी बुलाकर दुरूस्त किया गया था। अब आवेदकगणों ने मिलकर अपने हिस्से की भूमि में स्थित उक्त रास्ते को बंद कर दिया जो दुरूस्त किया जाने योग्य है। शामलाती रास्ते का बंद किये जाने के बाद जून 2019 को जबाबदेहंदागण के द्वारा ग्राम पंचायत मे शिकायत की गई ग्राम पंचायत देवीपुरा में पंच व सरपंच के द्वारा उक्त रास्ते का मौका निरीक्षण किया गया व रास्ते से संबंधित प्रस्ताव लिया गया जिसके बाद ग्राम पंचायत के द्वारा दिनांक 04.08.2019 को रास्ता दुरूस्त करवाने के आदेश निकाले गये। आवेदकगण को नोटिस जारी किये गये अब जब रास्ता खुलने की स्थिति में आया तो आवेदकगणों ने बाला बाला अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा ली। इसलिए आवेदकगण बेईमानीपूर्वक उक्त कृषि भूमि से निकाले गये रास्ते से जबाबदेहन्दागण को वंचित करना चाहते है। जिसका उन्हे कानूनन अधिकार नही है।

जबाबदेही पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अनावेदकगण जबरदस्ती रास्ता निकलवाना चाहते है जिससे हमारे मकानो व दुकानों को तोड़ना चाहते है। अतः मौके की यथास्थिति को कंफर्म किया जावे। पूर्व में प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मौके की जारी की गई थी। जबाब बहस में अप्रार्थीगण ने कथन किया कि आवेदकगण क्लीन हैंड के साथ न्यायालय मे नही आये है। रास्ते के संबंध में ग्राम पंचायत ने सभी को सुनकर निर्णय जारी किया गया। रास्ते को खोलने की बात आयी तो न्यायालय से स्थगन आदेश जारी करवा लिया। पंचायत के निर्णय की कोई अपील प्रार्थीगण के द्वारा नही की गई है। तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट भी पेश की गई है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ता नही खुले इसलिए मौके पर निर्माण कर लिया। केवल रास्ता नही खोला जावे इसलिए मौके का स्थगन ले लिया। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति अनावेदकगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। रिब्युटल में प्रार्थीगण ने कहा कि मौके पर कभी भी प्रचलित रास्ता नही रहा है तथा रास्ते को हमने कभी नही रोका है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है।** आवेदक की मुख्य आपत्ति विवादग्रस्त शामलाती भूमि में से रास्ते के संबंध में है जिसमें आवेदकगण के कहे अनुसार उक्त रास्ता कभी भी प्रचलन में नही रहा है तथा वहां पर उन्होंने मकान व दुकान बना रखी है जबकि अनावेदकगण के अनुसार उभय पक्ष की सहमति से उक्त स्थान पर 18 फिट चौड़ा रास्ता निकाला गया था जिसको अनावेदकगण ने जून 2019 में बंद कर दिया। जिसकी शिकायत ग्राम पंचायत में करने पर ग्राम पंचायत द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 4 द्वारा सर्वसम्मति से रास्ता खुलाने का निर्णय दिनांक 4.08.2019 को पारित किया था। ग्राम पंचायत के निर्णय की आज दिनांक तक कहीं कोई अपील नही की गई है। ग्राम पंचायत के निर्णय की पालना नही हो इसके लिए उन्होने न्यायालय हाजा में 23.09.2019 को स्थगन प्राप्त कर लिया। इस प्रकार आवेदकगण क्लीन हैण्डस के साथ न्यायालय में नही आये है। उक्त विवेचन के अनुसार सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण के खिलाफ साबित होता है।
- **अपूरणीय क्षति :–** विवादग्रस्त भूमि में उक्त रास्ता बंद किया जाने से अपूरणीय क्षति अनावेदकगण को होना प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है तथा दिनांक 23.09.2019 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/07/24

(हवाई सिंह बादल)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ